भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1930
सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

परिधान कारखानों में कामगार

1930. **श्रीमती वीणा देवीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गारमेंट कारखानों में महिला और पुरुष कामगारों का रोजगार काफी हद तक प्रभावित हुआ था और वे कोविड वैश्विक महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार कामगारों का लिंग-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गारमेंट कारखानों में काम करने के दौरान सुरक्षा और उत्पीड़न के संबंध में महिलाकर्मियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। उपलब्ध नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20 में 50.9% की तुलना में यह बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 52.6% हो गई है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर परिधान विनिर्माण उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत इस प्रकार था:

सामान्यताः परिधान विनिर्माण उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत वितरण (% में)			
वर्ष	पुरुष	महिला	योग
2019-20	1.44	3.72	2.08
2020-21	1.44	4.00	2.20

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान परिधान विनिर्माण उद्योग में रोजगार में वृद्धि हुई है।

भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है जो उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपलब्ध कराता है और इसमें महिला श्रमिक भी शामिल हैं। परिधान कारखानों सहित कार्यस्थल पर श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियम, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कारखानों के मुख्य निरीक्षक/औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से लागू किए जाते हैं। इस मंत्रालय द्वारा महिला कामगारों की कार्यस्थल शिकायतों से संबंधित आंकडें, केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) भी अधिनियमित किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी कार्य स्थिति कोई भी हो, सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। उपरोक्त अधिनियम के तहत निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में, 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक नियोक्ता/संगठन को यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक समिति (आईसी) का गठन करना बाध्यकारी है। इसी प्रकार, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति (एलसी) गठित करने के लिए अधिकृत है जो 10 से कम श्रमिकों वाले संगठनों से या यदि शिकायत स्वयं नियोक्ताओं के खिलाफ है तो ऐसी शिकायतें प्राप्त करेगी ।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्प लाइन (डबल्यूएचएल) का सार्वभौमीकरण, उज्जवला घर, स्वाधार गृह, बाल देखभाल संस्थान, बाल हेल्प लाइन (1098), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) जैसे संस्थान चालू रहें और इस अवधि के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए यह उपलब्ध रहें। लॉकडाउन के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडबल्यू) ने संकट का सामना कर रही महिलाओं की सहायता के लिए भी उपाय किए।

*****